कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 07-05-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत जोनल/सेक्टर पुलिस अधिकारी के साथ की गयी गोष्ठी, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

- **निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण हो मतदान**
- **जोनल/सेक्टर प्रभारी करें अपने क्षेत्रों का भ्रमण**
- **वल्नरेबल व्यक्तियों की हो पहचान एवं कार्यवाही**
- **सेक्टर पुलिस अधिकारी आमजन को दे अपना विजिटिंग कार्ड/मो0नं0**

आज दिनांक 07-05-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन स्थित सभागार में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जोनल/सेक्टर पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई। उक्त गोष्ठी में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध श्री के0 एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन श्री मनीष कुमार शान्डिल्य, पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन/मुख्यालय श्री श्याम नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये गये –

1. सेक्टर पुलिस अधिकारी अपने-अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ संयुक्त रूप से सेक्टर क्षेत्र व सेक्टर क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर, सभी तैयारियों को लेकर रिव्यू कर लें चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष निर्विघ्न कराया जाना है।
2. पुलिस सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर क्षेत्र व मतदान केन्द्र का भ्रमण अनिवार्य रूप से करें साथ ही मतदान केन्द्र के पहुंच मार्ग, मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन कर रूट चार्ट व क्षेत्र का नक्शा रखें।

3. अपने क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर, जिला बदर, वांछित व NBW अपराधियों के सम्बन्ध में जानकारी रखें व इनके विरूद्ध शत-प्रतिशत कार्यवाही की जाये।
4. विगत वर्षों में एनडीपीएस, अवैध शराब, अवैध शस्त्र आदि से सम्बन्धित प्रकरणों में जेल गये अपराधियों की सूची बनाकर उनकी गतिविधियों पर निगरानी की जाये।
5. विगत वर्षों में चुनावों के दौरान हिंसा में जेल गये अपराधियों की सूची बनाकर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
6. सभी जोनल/सेक्टर पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आमजन को अधिक से अधिक विजिटिंग कार्ड/मो0नं0 उपलब्ध करायें जिससे आमजनमानस पुलिस को सूचनायें त्वरित व आसानी से दे सके।
7. सेक्टर पुलिस अधिकारियों से वल्नरेबल व क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर, मतदान को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों व प्रभावित हो रहें व्यक्तियों की सूची तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
8. मतदाता पर किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव या बल का भय दिखाकर या उपयोग कर उसे स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से मतदान करने वाले व्यक्तियों व समूहों की पहचान कर उनके विरूद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाए।

<u>दिनांक 16.03.2024 से अब तक कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण-</u>

1. 107/116(3) द0प्र0सं0 – 32059 व्यक्ति
2. 151 द0प्र0सं0 की कार्यवाही— 1686 व्यक्ति
3. अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी—63 अभियुक्तों से 133.66 कि0ग्रा0 गांजा, 0.3685 कि0ग्रा0 हेरोइन बरामद।
4. अवैध शराब की बरामदगी—272 व्यक्तियों से 4387 ली0 देशी शराब व 285.75 ली0 अंग्रेजी शराब बरामद।
5. अवैध शस्त्र/कारतूस की बरामदगी— 70 शस्त्र/75 कारतूस
6. गुण्डा एक्ट/ गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही— 178 व्यक्ति
7. लाइसेंसी शस्त्र जमा कराये गये- 7510

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।